

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम — देव शिक्षा समिति
2. संस्था का पता — ग्राम अमरपुर धाना पोर्गौरई तहसीलास जिला अलीगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था का उद्देश्य —

1. संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह—जगह विद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र—छात्राओं का मैनु शेर्म
सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

2. संस्था का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी स्तर से प्राइमरी, जूडोइंस्कूल, हाइस्कूल, इंटर कालेज, आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार महाविद्यालय आदि की स्थापना करना व उनका निःशुल्क संचालन करना एवं सभी स्कूल, कालेजों आदि से सम्बन्ध कर टाईपिंग एवं कम्प्यूटर मोबाईल रिपेयर का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना व संचालन करना ।

3. संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति तथा तकनीकी शिक्षा की निःशुल्क समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, कीड़ा स्थल, व्यायामशाला की निःशुल्क व्यवस्था करना ।

4. कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों में व्यय करना ।

5. संस्था का उद्देश्य समय — समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम मध्यनिषेध कार्यक्रम चलाना ।

6. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड, निम्नालिखित वित्तीय सहयोग से लोगों कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वालम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे त्रिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्त शिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी दाढ़ीकलीन, ड्राइग्राम पेटिंग, भृकृत प्रशिक्षण, तथा टंकण आशुलिपि, एवं कम्प्यूटर साप्टवेयर, हार्डवेयर, एवं फोटो फिल्म फिल्मेशन, एवं ब्यूटीफिल्म, आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर / दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें छागरुकता पैदा करना ।

7. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं क्रांति क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन औलालिंग पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को निःशुल्क चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय, समय पर निःशुल्क जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

8. कम्प्यूटर प्रणाली की नवीनतम जानकारियों उपलब्ध करना व कराना व नवयुवक—युवतियों को कम्प्यूटर के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना व कम्प्यूटर के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

9. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना ।

10. समाज के अपेक्षित जैसे—अन्धे, कुच्छ, रोगी व मुक वधिरों, विकल्पोंगों व निराश्रित लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्य करना तथा बाल आश्रम अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की निःशुल्क स्थापना करना ।

11. "यह कि राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाणपत्रों को न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे ।" "उपरोक्त सभी उद्देश्य अलाभकारी हैं" ।

सात्य प्रतिलिपि

नियमावली

1. संस्था का नाम — देव शिक्षा सभिति
2. संस्था का पता — ग्राम अमरपुर धाना पोर्गौरई तह0इगलास जिला अलीगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य — स्मृतिपत्र के अनुसार होगा ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग —

1. संरक्षक सदस्य —

जो सज्जन इस संस्था को 1000/- रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा

2. आजीवन सदस्य —

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3. साधारण सदस्य —

जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250/- रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

4. विशिष्ट सदस्य —

ऐसे सज्जन जिनको आपश्यकता इस संस्था के महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति —

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

सत्य प्रतिलिपि

.2 पर

चैनिल युपायक

संघर्ष द्वा० निर्मला० फट्ट० रोदाम्प्रेत० एवं चिट्ठ०

दिनांक ३०.०८.२०१८

६६३१८

7. संस्था के अंग :-

8. साधारण सभा :-

Meeenu
Sharmila

Yogesh

lal
Kalpana

9. प्रबन्धकारिणी समिति :-

Surender
नेकरा० २

1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

गठन — साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठक — साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि — साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति — गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य —

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।
2. संस्था के नियमों यिनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।
3. संस्था का वार्षिक बजट वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करवाना ।

गठन — प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के अंतर्गत सभी सदस्यों को चुनकर नियम जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक / सचिव, एक उपप्रबन्धक / उपसचिव, प्रक्रियाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे । सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई — बढ़ाई जा सकती है । जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी ।

बैठक — प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि — प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति — गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति — प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।
2. संस्था के नियमों यिनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

3.. पर

सत्य प्रतिलिपि

दर्शन सहायक
काली छप नियंत्रित पर्याप्त सोलाइन्ड्रिय एवं चिद्रस
गगरा देश, आगरा

०६७१०

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना ।
 4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों, एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, एवं बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं वैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना ।

ल. कार्यकाल – मबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य -

१. अध्यादा —

- १. अधिकार**

 - संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
 - मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णयक मत देना ।
 - संस्था की कार्यकारिमी व समिति व सचिवालय सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम सचिवालय कर्त्तव्य

उपाध्यक्षः—अध्यक्ष का अनुपस्थिति में उनके कीर्यों को करना, सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना।

प्रबन्धक / संचित -

- संस्था की ओर से समस्त प्रकार कार्यवाचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
 - संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार-प्रसार करना ।
 - संस्था की अचल-चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान चैकों, ड्राप्टों बंधक बिलेखों बिल बातचरों पर हस्ताक्षर करना । ।
 - संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
 - संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों/ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना एवं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।
 - संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपप्रबन्धक / उपसचिव:-

संस्था के प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थित में उनके द्वारा सोचे गये कार्यों को करना एवं उपस्थित में कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सत्य प्रतिज्ञा

4 पर

दरिंहु भाइयक
कार्यम् उप निवेदनं प्रसादे देशाद्वेज एवं चिट्ठम्
अभिष्ठ दिव्यं अस्ति

06918

-4-

कोषाध्यक्ष-

- 1— संस्था के आय-व्यय विवरण को रखना ।
- 2— प्रबन्धक/सचिव द्वारा सोपे गये कार्यों को करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया —
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था —

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकत बैंक, मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक सचिव प्रसंग कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) —

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडिट अथवा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।



14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कायवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व — संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कायवाही के निस्तारण की कायवाही प्रबन्धक/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकत व्यवित द्वारा की जावेगी ।

15. संस्था के अभिलेख —

- 1— सदस्यता रजिस्टर 2— कार्यवाही रजिस्टर 3— एजैण्डा रजिस्टर 4— स्टाक रजिस्टर
- 5— कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन —

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कायवाही सोसाइटरजिओडिओ की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी ।

दिनांक—

सत्यप्रतिलिपि

Meehi

Sharma

नेत्रराम द्वे

Yogesh

Surender

Kalpana

Shubh

सत्य प्रतिलिपि

धैरिया साधारण
कार्यकालीन निवेश कर्मसंसद राज्यसभा भवन, हिन्दूगढ़
गोदानपुर, दिल्ली, २०-८-१८

66218

संस्था का नाम :- देव शिक्षा समिति,

ग्राम अमरपुर धाना पोस्ट गौरई तह ० इगलास जिला अलीगढ़।

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की सूची वर्ष:-2022-2023

सं० नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१—श्री मरत कुमार चतुर्वेदी श्री राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	ग्राम व पोस्ट राल तहसील अध्यक्ष छाता जिला मथुरा।			स० सेवा
२—श्री मनोज कुमार	श्री सुरेश चन्द शर्मा	ग्राम व पोस्ट जेवर तहसील उपाध्यक्ष जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर।		स० सेवा
३—श्री ओम प्रकाश शर्मा	श्री घनश्याम शर्मा	ग्राम व पोस्ट बरौठ तहसील मॉट प्रबंधक/ उपसचिव		स० सेवा
४—गुणन शर्मा	श्री रामवीर शर्मा	ग्राम नगरपालीमा पोस्ट राया उपप्रबंधक/ उपसचिव		स० सेवा
५—श्रीमती हेमलता	श्री योगेश कुमार शर्मा	ग्राम व पोस्ट बरौठ तहसील मॉट कोषाध्यक्ष उपकाला मथुरा।		गृहणी
६—श्रीमती चन्द्रकान्ता	श्री नीरज कुमार शर्मा	ग्राम व पोस्ट बरौठ तहसील मॉट सदस्य जिला मथुरा।		गृहणी
७—श्रीमती मनोरमा	श्री कैलाश चन्द शर्मा	ग्राम व पोस्ट बरौठ तहसील मॉट सदस्य जिला मथुरा।		गृहणी

दूसर्य प्रतिलिपि

प्रधान सहभागी

कार्य उप नियंत्रक एवं सोसाइटी एवं चिद्दस
आगरा झेंडा, आगरा

१५-७-२२

OP
Sharma

M Kumar
हेमलता
Gupta

मरत कुमार